"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 जुलाई 2016— आषाढ़ 27, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 जुलाई, 2016 (आषाढ़ 27, 1938)

क्रमांक-7828/वि. स./विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 22 सन् 2016) जो सोमवार, दिनांक 18 जुलाई, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 22 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्र. 19 सन् 1958) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 6 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्र. 19 सन् 1958) की धारा 6 की उप-धारा (1) में,-

(एक) खण्ड (क) में, अंक एवं शब्द "25,000 रुपये" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "5,00,000 रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(दो) खण्ड (ख) में, अंक एवं शब्द "50,000 रुपये" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "10,00,000 रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

सिविल न्यायालय के धन संबंधी मूल क्षेत्राधिकार के विस्तार के लिए, छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्र. 19 सन् 1958) में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 15 जुलाई, 2016

महेश गागड़ा

विधि और विधायी कार्य मंत्री

(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1958 (क्र. 19 सन् 1958) की धारा 6 (1) का सुसंगत उद्धरण :-

6. **सिविल न्यायालयों की प्रारंभिक अधिकारिता - (1)** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए -

(क) सिविल न्यायाधीश, द्वितीय वर्ग के न्यायालय को 25,000/- रुपये से अनधिक मूल्य के किसी भी सिविल वाद या मूल कार्यवाही को होगी, सुनने तथा अवधारित करने की अधिकारिता;

(ख) सिविल न्यायाधीश, प्रथम वर्ग के न्यायालय को 50,000/- रुपये से अनधिक मूल्य के किसी भी सिविल वाद या मूल कार्यवाही को होगी, सुनने तथा अवधारित करने की अधिकारिता होगी;

(ग) जिला न्यायाधीश के न्यायालयों, मूल्य के संबंध में बिना किसी निबन्धन के किसी सिविल वाद या मूल कार्यवाही की श्रवण करने और उसका निराकरण करने का क्षेत्राधिकार होगा.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .